



भारतीय विज्ञान संस्थान Indian Institute of Science
बेंगलूर Bangalore – 560 012

छुट्टी यात्रा रियायत सुचना-सह-अग्रिम आवेदन पत्र
Application for LTC Intimation-cum-Advance

1.	नाम (मोटे अक्षरों में) Name (in Capital Letters)				
2.	कर्मचारी कोड Employee Code				
3.	पदनाम/Designation				
4.	विभाग/Department				
5.	मूल वेतन एवम् लेवल Basic Pay & Level				
6.	छु.या.रि. प्रकार Type of LTC	गृहनगर / गृहनगर के स्थान पर Hometown / In Lieu of Hometown	भारत में कोई भी स्थान Any Place in India		
7.	अवकाश का विवरण Leave details	अ.अ./अ.वे.अ./आ.अ./अ.अ./अ.अ./दीर्घवाकाश/अन्य. अवकाश EL/HPL/CL/Study Leave/EOL/Vacation Leave/Other Leave			
		से दिनांक / From Date		तक दिनांक / To Date	
8.	छु.या.रि. ब्लॉक अवधि LTC Block Period				
9.	भ्रमण का स्थान Place of Visit				
10.	गृहनगर विवरण Hometown Details	ग्राम / Village	तालुक / Taluk	जिला / District	राज्य/ State
11.	यात्रा का विवरण Journey Details	आगे की यात्रा की तिथि Date of Onward Journey		वापसी यात्रा की तिथि Date of Return Journey	
12.	अनुरोधित छु.या.रि. अग्रिम की कुल राशि Total amount of LTC advance requested				
13.	क्या अर्जित अवकाश का नकदीकरण प्रस्तावित है? Is Encashment of Earned Leave proposed.	हाँ / Yes नहीं / No	दिनों की संख्या (अधिकतम दस दिन) No. of Days (Maximum 10 Days)	दिन / Days	
14.	यात्रा करने वाले सदस्यों का विवरण / Details of Members travelling: -				
सं N.	नाम / Name(s)	आयु (वर्षों में) Age (yrs)	संबंध Relationship	वैवाहिक स्थिति Marital Status	व्यवसाय Occupatio n

मैं एतद् द्वारा यह भी घोषणा करता / करती हूँ कि :

I also hereby declare that:

1. मैं का.व.प्र.वि. के का.ज्ञा सं. 1011/3/2015-स्था(ए.IV) दिनांक 18 फरवरी 2016 के अनुसार निर्धारित समय, जो कि अग्रिम निकासी के मामले में वापसी यात्रा की तिथि से तीस दिनों के भीतर अथवा अग्रिम न निकाले जाने की स्थिति में वापसी यात्रा की तिथि से साठ दिनों के भीतर के, अपने बिल जमा करूँगा / करूँगी। ऐसा न करने की स्थिति मेरा दावा सामान्य वित्तीय नियम, 2017 के नियम 292 और सीसीएस (एलटीसी) नियम, 1988 के नियम 14 के प्रावधानों के अनुसार समपहत (जब्त) हो जाएगा।

I further undertake to submit my bill(s) within the stipulated time, which in case advance is drawn then within thirty days from the date of return journey or if no advance is drawn then within SIXTY DAYS of the due date in accordance with DoPT OM No. No.31011/3/2015-Estt (A.IV) dated 18 February 2016 failing which my claim shall be forfeited in accordance with the provisions of Rule 292 of General Financial Rules, 2017 and Rule 14 of CCS (LTC) Rules, 1988.

2. समपहत (जब्त)/त्याग हुआ/आंशिक या पूर्ण रूप से अप्रयुक्त छु.या.रि. अग्रिम के मामले में, मैं दंडात्मक ब्याज के साथ अग्रिम की पूरी या शेष राशि एकमुश्त वापस करूँगा / करूँगी या इसे, लागू नियमों के अनुसार, दंडात्मक ब्याज के साथ मेरे वेतन से वसूल किया जा सकता है और आगे इस संबंध में संस्थान द्वारा किसी भी पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा।

In case of forfeiture / deemed relinquishment / partially or fully unutilized LTC Advance, I shall refund the entire or balance amount of advance along with penal interest as per applicable rates in one lump sum or the same may be recovered from my salary along with penal interest as per applicable rates and no further communication shall be entertained by the Institute in this regard.

3. मैं केवल अधिकृत यात्रा अभिकर्ता से ही टिकट बुक करूँगा / करूँगी। यदि मैंने अधिकृत यात्रा अभिकर्ता के अलावा किसी अन्य अभिकर्ता के माध्यम से टिकट बुक किया है, तो मैं ऐसे टिकट व्यय के लिए दावा नहीं करूँगा / करूँगी और यदि अग्रिम राशि ली गई है, तो दंडात्मक ब्याज के साथ अग्रिम की पूरी राशि एकमुश्त वापस करूँगा / करूँगी या इसे, लागू नियमों के अनुसार, दंडात्मक ब्याज के साथ मेरे वेतन से वसूल किया जा सकता है और आगे इस संबंध में संस्थान द्वारा किसी भी पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा।

I shall book the tickets from the authorized travel agents only. In case, I book the tickets through any other means, other than the authorized travel agents, I shall not prefer the claim for such ticket expenditure and if advance is drawn, I shall refund the entire amount of advance in one lump sum or the same may be recovered from my salary along with penal interest as per applicable rules and no further communication shall be entertained by the Institute in this regard.

दिनांक / DATE:

हस्ताक्षर / SIGNATURE

टिप्पण / NOTE :

1. माता-पिता/पिता/माता/भाई/बहन(नों) के मामले में, कृपया प्रमाणित करें कि क्या वे आप पर निर्भर हैं और आपके साथ रहते हैं।
In case of Parents / Father / Mother / Brother(s) /Sister(s), please certify whether they are DEPENDENT on you and RESIDING with you.
2. स्टाफ सदस्य को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आगे की यात्रा अग्रिम अनुदान की तारीख से 30 दिनों के भीतर शुरू हो जाए या पूरा अग्रिम वापस कर दिया जाए। ऐसे मामले में जहां आगे की यात्रा 30 दिनों के बाद लेकिन अग्रिम प्राप्ति के 60 दिनों के भीतर शुरू होनी है और इसके प्रमाण के रूप में लेखा अधिकारी, वेतन अनुभाग को नकद रसीदें/टिकट नंबर प्रस्तुत करना है। The staff member should ensure that the onward journey is commenced within 30 days from the date of grant of the advance or refund the full advance. In the case where the onward journey is to commence after 30 days but within 60 days of receipt of the advance and produce cash receipts/ticket numbers in proof of the same to the Accounts Officer, Salary Section.
3. अग्रिम राशि निकालने की तारीख से 10 दिनों के भीतर टिकट/पीएनआर की प्रति जमा की जानी चाहिए।
Copy of ticket / PNR should be submitted within 10 days from the date of drawing the advance.

कार्यालय प्रयोग हेतु
For Office Use Only

सादर कुलसचिव:
The Registrar w/c:

बैंगलोर /Bangalore
दिनांक /Date:

अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी के हस्ताक्षर
Signature of Chair/ Officer-in-charge

सादर वित्तीय नियंत्रक
The Financial Controller w/c:

कुलसचिव / Registrar

₹ _____ (रुपये _____
_____) का छु. या. रि अग्रिम स्वीकृत किया जाता है।

LTC Advance of ₹ _____ (Rupees _____
_____ is sanctioned.

सहायक कुलसचिव
Assistant Registrar.

उप-कुलसचिव. /संयुक्त कुलसचिव
Deputy Registrar / Joint Registrar